

**बिहार सरकार**  
**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**

पत्रांक :- 6ए0/वि01 - 10118/2017 - 2549 पटना - 15 दिनांक :- 17/10/17

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

विषय -- रोहतास जिला में पेयजल की सुविधा हेतु इण्डिया मार्क-II पम्प एवं सौर ऊर्जा पर आधारित पम्प (ड्रुवेल पम्प) के साथ 42 जलापूर्ति योजना का निर्माण तथा इन योजनाओं के पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव हेतु 269.206 लाख रुपये (दो करोड़ उन्हत्तर लाख बीस हजार छः सौ रुपये) मात्र की राशि पर योजना की स्वीकृति।

आदेश -- रोहतास जिला में पेयजल की सुविधा हेतु इण्डिया मार्क-II पम्प एवं सौर ऊर्जा पर आधारित पम्प (ड्रुवेल पम्प) के साथ 42 जलापूर्ति योजना का निर्माण तथा इन योजनाओं के पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव हेतु 269.206 लाख रुपये (दो करोड़ उन्हत्तर लाख बीस हजार छः सौ रुपये) मात्र की राशि पर प्रस्तुत योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना का कार्यान्वयन एक वर्ष में पूरा किया जाना है।

**2. बजट शीर्ष**

इस योजना पर होने वाला व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष -- 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय -- उपमुख्य शीर्ष -- 01-जल पूर्ति -- लघु शीर्ष -- 102-ग्रामीण जल पूर्ति -- मांग संख्या -- 36 -- उपशीर्ष -- 0101-ग्रामीण जलापूर्ति योजना -- विपत्र कोड -- 36-4215011020101 -- विषय शीर्ष -- 0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य, मुख्य शीर्ष -- 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय -- उपमुख्य शीर्ष -- 01-जल पूर्ति लघु शीर्ष -- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -- मांग संख्या -- 36 -- उपशीर्ष -- 0102-ग्रामीण जलापूर्ति योजना -- विपत्र कोड -- 36-4215017890102 -- विषय शीर्ष -- 0102.27.01 लघु कार्य एवं मुख्य शीर्ष -- 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय -- उपमुख्य शीर्ष -- 01-जल पूर्ति -- लघु शीर्ष -- 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना -- मांग संख्या -- 36 -- उपशीर्ष -- 0115-ग्रामीण जलापूर्ति योजना -- विपत्र कोड -- 36-4215017960115 -- विषय शीर्ष -- 0115.53.01 मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्षों में भारितव्य होगा।


3. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, सासाराम होंगे। राशि की निकासी सासाराम कोषागार से की जायेगी।

4. इस राशि में से स्थापना पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

5. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

20/11/17

6. योजना एवं गैर योजना मदों में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के सेकल्प संख्या -- एम4 53/2007/3758 वि०, दिनांक -- 31-05-17 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति विभागीय सचिव द्वारा प्रदान की गयी है।
7. वर्ष 2017-18 के वार्षिक योजना उद्द्वय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।
8. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

  
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)


अभियन्ता प्रमुख --सह-- विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 6ए०/वि०1 -- 10118/2017 -- 2543 पटना -- 15 ,दिनांक :- 17/10/17

प्रतिलिपि -- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / योजना एवं विकास विभाग / मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग / कल्याण विभाग बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, रोहतास / उप विकास आयुक्त, रोहतास / कोषागार पदाधिकारी, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव के आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख --सह-- विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (रूपांकण) / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो०) / कार्यपालक अभियन्ता --सह-- नोडल पदाधिकारी / कार्यपालक अभियन्ता (मो०) / उप निदेशक (मूल्यांकण) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रशाखा -- 4 / 6 / कम्प्यूटर प्रोग्रामर / आई० टी० मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना / अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सासाराम / कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियन्ता प्रमुख --सह-- विशेष सचिव

